फर्मों को बोली से प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश

परिभाषाएं

क. फर्म: इन दिशानिदेर्शों के उद्देश्य से 'फर्म' या 'बोलीदाता' का अर्थ एक ही है। इसमें कोई व्यक्ति, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अविभाजित परिवार और लोगों का समूह या संस्था शामिल है– चाहे वे पंजीकृत हों या नहीं–जो व्यापार या व्यावसाय में लगे हों।

ख. संबद्ध फर्म: प्रतिबंधित फर्मों के प्रभावी प्रभाव के दायरे में आने वाली सभी फर्मों को संबद्ध फर्म माना जाएगा। इसका निर्धारण करते समय, निम्नलिखित बातों पर विचार किया जा सकता है:

1. क्या प्रबंधन एक ही है?
2. प्रबंधन में अधिकांश हिस्सेदारी प्रतिबंधित/निलंबित की गई फ़र्म के भागीदार या निदेशक के पास है;
3. प्रतिबंधित/निलंबित की गई फ़र्म के पास काफ़ी या अधिकांश शेयर हैं और इस वजह से उसका निर्णयों पर नियंत्रण है।
4. किसी दूसरे बोलीदाता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रित करती है, या उसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, या किसी दूसरे बोलीदाता के साथ एक ही नियंत्रण के तहत है।
5. सभी उत्तराधिकारी फ़र्मों को भी सहयोगी फ़र्म माना जाएगा।

ग. "फर्म पर प्रतिबंध", "निलंबन " "ब्लैक-लिस्टिंग" आदि शब्दों का वही अर्थ है जो "रोक" का है।

खरीद करने वाली संस्था द्वारा प्रतिबंधित किया जाना

किसी फर्म को प्रतिबंधित करने का आदेश खरीद करने वाली संस्था द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाएगा:

क. किसी बोलीदाता या उसके उत्तराधिकारी को दो वर्ष से ज़्यादा समय के लिए किसी भी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सकता है।

ख. अगर यह तय हो जाता है कि बोलीदाता ने जीएफआर 2017 के नियम 175 के तहत कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी का उल्लंघन किया है, तो फर्मों को रोक दिया जाएगा (विवरण के लिए नीचे पैरा 14.5.3 देखें)।

ग. बोलीदाता को कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी के नियमों के उल्लंघन के अलावा, किसी अन्य कार्य या चूक के लिए भी रोका जा सकता है, जो खरीद करने वाली संस्था की राय में, रोकने लायक हो; जैसे कि घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, काम बीच में छोड़ देना, काम की घटिया गुणवत्ता, 'बोली सुरक्षा घोषणा' का पालन न करना आदि।

घ. इसे अन्य संगठनों में नहीं भेजा जाएगा। यह केवल टीएचडीसीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू होगा।

ङ. किसी फर्म के विरुद्ध रोक के आदेश जारी करने से पूर्व, खरीद करने वाली संस्था को यह पक्का

करना होगा कि संबंधित फर्म को इस रोक के विरुद्ध अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया गया है (इसमें व्यक्तिगत सुनवाई भी शामिल है, अगर फर्म ने इसका अनुरोध किया हो)।

च. टीएचडीसीआईएल के अंतर्गत किसी परियोजना/यूनिट/कॉर्पोरेट कार्यालय में किसी बोलीदाता को प्रतिबंधित करने के लिए सक्षम अधिकारी, परियोजना/यूनिट प्रमुख या विभाग प्रमुख (कॉर्पोरेट कार्यालय के मामले में) होंगे, जिनका पद महाप्रबंधक के पद से कम नहीं होना चाहिए। टीएचडीसीआईएल के भीतर इस तरह के प्रतिबंध को पूरी कंपनी के लिए प्रतिबंध माना जाएगा। संबंधित स्वीकृति देने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे टीएचडीसीआईएल के अन्य परियोजना/यूनिट/कॉर्पोरेट कार्यालय को सूचित करने के लिए परिपत्र जारी करें और इसकी एक प्रति आई टी विभाग को भी भेजें ताकि इसे टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

छ. जिस खरीद करने वाली संस्था ने रोक का आदेश जारी किया है, वह रोक की अवधि खत्म होने से पहले भी इसे रद्द करने का आदेश जारी कर सकती है, अगर इसके लिए उचित कारण हों। आम तौर पर, रोक की अवधि खत्म होने से पहले आदेश को रद्द करने का कार्य सीएमडी की स्वीकृति से किया जाना चाहिए।

ज. खरीद करने वाली संस्था रोक फर्मों की सूची बनाए रखेगी, जिसे टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

झ. रोक लगाना एक कार्यकारी कार्य है और इसे सतर्कता विभाग को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

जीएफआर के नियम 175 **में शामिल कोड ऑफ़ इंटीग्रिटी नीचे दी गई है:**

खरीद करने वाली संस्था या बोलीदाता का कोई भी अधिकारी उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i निम्नलिखित का निषेध

क. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ पाने या खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिश्वत, इनाम, उपहार या किसी भी तरह का भौतिक लाभ देने का प्रस्ताव रखना, मांग करना या उसे स्वीकार करना।

ख. कोई ऐसी चूक या गलत जानकारी देना जिससे गुमराह किया जा सके या गुमराह करने की कोशिश की जा सके, ताकि कोई वित्तीय या अन्य लाभ उठाया जा सके या किसी दायित्व से बचा जा सके।

ग. कोई भी मिली-भगत, बोली में हेराफेरी या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार, जिससे खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति पर बुरा असर पड़ सकता है।

घ. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ पाने या निजी फायदे के लिए, खरीद करने वाली संस्था द्वारा बोलीदाता को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना।

ङ. बोलीदाता और सामान या सेवा खरीदने वाली संस्था के किसी अधिकारी के बीच निविदा या

संविदा को पूर्ण करने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेन-देन; जो खरीदने वाली संस्था के निर्णय को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

च. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने या हानि पहुँचाने के लिए कोई ज़बरदस्ती या धमकी देना।

छ. खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या लेखापरीक्षा में बाधा डालना। किसी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या गलत जानकारी प्रदान करना;

ii. हितों के टकराव का खुलासा।

iii. बोलीदाता को यह बताना होगा कि क्या उसने पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी संस्था के साथ पैरा 14.5.3(i) (ऊपरोक्त अनुसार) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, या क्या उसे किसी अन्य खरीद करने वाली संस्था द्वारा रोक लगाई गई है।

आदेशों को रद्द करना

i. किसी व्यक्ति या संस्था को रोक का आदेश, उस तय समय-सीमा के खत्म होने पर अपने-आप रद्द माना जाएगा; इसके लिए कोई अलग से औपचारिक आदेश या रद्दीकरण का आदेश जारी करने की ज़रूरत नहीं होगी।

ii. अगर सक्षम अधिकारी को लगता है कि मामले की परिस्थितियों या किसी अन्य कारण से अब तक भुगती गई पाबंदी ही काफ़ी है, तो वह तय समय-सीमा खत्म होने से पहले भी रोक का आदेश रद्द कर सकता है।

अन्य प्रावधान (दोनों प्रकार के रोक के लिए समान)

i. खरीद करने वाली संस्था द्वारा किसी फर्म को रोक करने का आदेश जारी होने के बाद, उस फर्म या उससे जुड़ी किसी भी फर्म को कोई भी अनुबंध नहीं दिया जाएगा। अनुबंध देने के लिए केवल उन्हीं फर्मों की बोली पर विचार किया जाएगा जो न तो निविदा खुलने की तारीख (दो-पैकेट/दो-चरण वाली बोली के मामले में पहली बोली, जिसे आमतौर पर तकनीकी बोली कहा जाता है) पर रोक हो और न ही अनुबंध देने की तारीख पर रोक हो; यहाँ तक कि 'रिस्क परचेज़' के मामलों में भी ऐसी प्रतिबंधित फर्मों को कोई अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए।

ii. अगर किसी ऐसी फ़र्म ने बोली जमा की है जिसे रोक लगाई गई है, तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर ऐसी फ़र्म सबसे कम बोली लगाने वाली (एल-1) होती है, तो अगली सबसे कम बोली वाली फ़र्म को एल-1 माना जाएगा। ऐसी रोक लगाई फ़र्मों द्वारा जमा की गई बोली सुरक्षा राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

iii. रोक आदेश जारी होने से पहले किए गए अनुबंध, रोक आदेशों से प्रभावित नहीं होंगे।

iv. रोक अपने आप ही उससे जुड़ी सभी फर्मों पर भी लागू हो जाएगा। अगर किसी संयुक्त उद्यम/संघ पर रोक लगाई जाती है, तो उसके सभी भागीदारी भी रोक के आदेश में बताई गई अवधि के लिए रोक लगाए हुए माने जाएंगे। रोक के आदेश में भागीदार के नाम स्पष्ट तौर पर बताए जाने चाहिए।

v. किसी भी तरह से रोक किए जाने का प्रभाव, खरीद करने वाली संस्थाओं के किसी अन्य संविदात्मक या कानूनी अधिकारों पर नहीं पड़ता है।

vi. रोक की अवधि, रोक का आदेश जारी होने की तारीख से शुरू होगी।

vii. रोक लगाने के आदेश में संक्षेप में वे कारण बताए जाएंगे जिनकी वजह से फर्म को रोक दिया गया है।

viii. आमतौर पर, रोक लगाए जाने की अवधि छह महीने से कम नहीं होनी चाहिए।

ix. ऊपर बताई गई व्यवस्था को बोली से जुड़े दस्तावेज़ों में शामिल किया जाना चाहिए।